न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—213/2018/225 (2018/00213)

1. श्रीमती कमला पत्नी मोहन,
2. मोहन पुत्र भूरा,
   समस्त जाति मीणा नि0 ग्राम मोडी, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पत्नी छीतरमल,
2. भंवरलाल पुत्र छीतरमल,
3. शंकर पुत्र छीतरमल,
4. सोहन पुत्र कल्याण,
5. कैलाश पुत्र कल्याण,
6. अर्जुन पुत्र कल्याण,
7. रूकमा पत्नी सुखदेव,
8. उदयलाल पुत्र सुखदेव,
9. भोजाराम पुत्र सुखदेव,
10. नारायण पुत्र उगमा,
11. श्रंगारी पुत्री कल्याण,
12. चन्द्री पुत्री कल्याण,
13. कमला पुत्री कल्याण,
14. मन्नी पुत्री कल्याण,
    समस्त जाति मीणा, नि0 ग्राम नाडी, तह0 सावर, जिला अजमेर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 10.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 165/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 14.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 15.

निर्णय

दिनांकः— 25.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 10.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अपीलांटस/अप्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 11 से 14 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया

कि खतौनी संख्या 20 जिसके खसरा नंबर 1617/5841 रकबा 0.07 है0, खाता संख्या 680 के खसरा नंबर 1617 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 1618 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 1619 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 483 के खसरा नंबर 1599 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 1599/5840 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 1683/6348 रकबा 0.10 है0, खाता संख्या 37 के खसरा नंबर 1597 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1598 रकबा 0.20 है0, खाता संख्या 395 खसरा नंबर 1600 रकबा 0.16 है0 आराजियात प्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है जो संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है । उक्त आराजियात में आने–जाने का रास्ता खसरा नंबर 1604 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजी है में से होकर जाता है जो संलग्न नजरी नक्शे लाल स्याही से दर्शित है जो उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है लेकिन प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजियात में से आने–जाने के लिये रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बार–बार उक्त रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते है जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती है । अन्त में प्रार्थना की कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नंबर 1604 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 10.5.2018 के द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई एवं मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 10.5.2018 को आदेश पारित कर अपीलांटस के साथ अन्याय किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दिनांक 7.12.2017 को दर्ज किया जाकर नोटिस जारी करने के आदेश देते हुए दिनांक 15.1.2018 की पेशी नियत की गई तथा दिनांक 15.1.2018 से दिनांक 20.2.2018 की पेशी नियत की गई । तत्पश्चात् अपीलांटस को दिनांक 10.5.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट घटियाली में उपस्थित होने के नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलांट संख्या 2 उपस्थित हुआ जिसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका में कराकर बिना किसी कार्यवाही के भेज दिया गया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की पीठ पीछे दिनांक 10.5.2018 को ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के कानून व नियमों की पालना नहीं की है क्योकि जिस व्यक्ति की खातेदारी आराजी में से रास्ता निकालकर खातेदारी समाप्त की जाती है उसको जवाब का अवसर दिया जाता है तथा पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की जाती है तथा उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी पक्षकार को आपत्ति हो तो उन्हें सुनकर निर्णय पारित किया जाता है । लेकिन अधी0न्याया0 के निर्णय से स्पष्ट है कि अपीलांटस की खातेदारी आराजी में रास्ता निकालने के संबंध में उपरोक्त कार्यवाही संपादित नहीं की गई है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि राज0काश्त0अधि0 251–ए के तहत रास्ता सुगमता के लिये नहीं दिया जाता है ओर अगर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है तो भी

रास्ता नहीं दिया जा सकता है । जबकि अपीलांटस अपनी खातेदारी की आराजी में आने–जाने के लिये गांव से आने जाने का पूर्व से रास्ता है जिसका वह उपयोग कर रहा है इसके बावजूद प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा जहां से रास्ता मांगा है उस ओर मकान बना लिये जाने के कारण सुगमता की दृष्टि से उक्त रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलांटस की खातेदारी की आराजी में से रेस्पो0 का कभी भी आना–जाना नहीं रहा है और न ही कोई रास्ता मौजूद है । अधी0न्याया0 ने मौके की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के द्वारा मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है । पत्रावली पर जो मौका रिपोर्ट संलग्न है वह दिनांक 7.6.2018 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि राज0काश्त0अधि0 की धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 नियम 2012 के तहत बने संशोधित नियम के अनुसार उपखण्ड अधिकारी स्वंय अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से ही मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थना पत्र को निर्णित करना होता है । यह प्रावधान आज्ञापक है जिसकी पालना किया जाना आवश्यक है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । पटवारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 7.6.2018 की है जबकि निर्णय दिनांक 10.5.2018 को है, जो संभव नहीं है । पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर जाने हेतु खसरा नंबर 1683 किस्म गैर मुमकिन नाला है जिसमें रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता है और न ही नाले में से होकर कोई रास्ता ही दिया जा सकता है तो फिर खसरा नंबर 1604 तक में किस प्रकार रास्ता कायम किया जा सकता है। बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 के पास पूर्व में वैकल्पिक रास्ता है जिससे वह हमेशा आते–जाते रहते है । अपीलांटस की आराजी में से कभी भी पूर्व में रास्ता नहीं रहा है और न ही कभी खसरा नंबर 1604 में से रेस्पो0 का आना–जाना रहा है इसके बावजूद अपीलांट की जो आराजी है जिसका रकबा बहुत छोटा है जिसमें से रासता नहीं दिया जा सकता है, इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 10.5.2018 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 14 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 अपनी खातेदारी की आराजियात में अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1604 में से होकर आवागमन करता रहा है तथा उक्त रास्ता उसके पर्वूजों के समय से रेस्पो0 द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है । अपीलांटस जानबूझकर उक्त रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करते रहते है । रेस्पो0 की आराजी में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता अपीलांटस की खातेदारी आराजी 1604 में से ही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है । पटवारी हल्का ने भी अपनी मौका रिपोर्ट में किसी वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई अंकन नहीं किया है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन कर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान

किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अपीलांटस का यह भी कथन रहा है कि धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रकरण में रास्ते के संबंध में उपखण्ड अधिकारी स्वंय या तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.5.2018 को आदेश पारित किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका से यह कहीं भी स्पष्ट नही होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन रास्ते के आदेश पारित किये जाने से पूर्व तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रस्तावित रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट की गई हो । यही नहीं उपखण्ड अधिकार स्वंय के द्वारा भी मौका निरीक्षण किया जाना पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में पटवारी हल्का घटियाली की मौका रिपोर्ट संलग्न है जो दिनांक 7.6.2018 की है जबकि अधी0न्याया0 द्वारा आदेश दिनांक 10.5.2018 का है, जो असंगत प्रतीत होती है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस कथन से भी सहमत है कि राज0काश्त0अधि0 की धारा 251–ए के तहत बने Rajasthan Tenancy (Government) (Amend.) Rules, 2012 के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी स्वंय अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिये । जबकि हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट 7.6.2018 की होकर आदेश की दिनांक 10.5.2018 के बाद की है । अधी0न्याया0 द्वारा मौका रिपोर्ट पर अपीलांटस को आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना स्पष्टतया प्रकट होता है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.5.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रास्ते के संबंध में तहसीलदार स्वंय से उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर, मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को यथासंभव 3 माह में गुणावगुण पर निर्णित करे । उभयपक्ष दिनांक 23.10.2019 को अधी0न्याया0 में उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर